प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 18.03.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 210 वाहनों से 2,21,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 18.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 210 वाहनों से 2,21,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 1,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 18.03.2026 को माननीय जिला जज जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 1,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना विवरणः-
वादी मुकदमा श्री राजदेव पुत्र रामकेवल निवासी देवपुर थाना बखिरा द्वारा अभियुक्त मनीष यादव पुत्र परमात्मा यादव निवासी बरडाड़ थाना बखिरा जनपद संतकबीरगनर के विरुद्ध दुष्कर्म कारित करने के सम्बन्ध में थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री शम्भूराम द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।
सजा विवरणः-
मु0अ0सं0 276/2024 धारा 64(1),333,351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष का कारावास व 1,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा।